संख्या– / बीस–4 / 2019–5(3) / 2015

प्रेषक,

ओमकार सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांकः 18 जुलाई, 2019

विषय– मोटर दुर्घटना वाद संख्या–48 / 2013 श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री रजनीश कुमार आदि बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–डीजी–छः–126 / 2014, दिनांकः 15.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या–1707 / बीस–4 / 2015–5(3) दिनांक 28–09–2015 द्वारा मा0 न्यायालय मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्राधिकरण / प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा वाद संख्या–48 / 2013 श्रीमती राधा देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांकः 30.04.2014 के अनुपालन में प्रतिकर धनराशि रू0 22,25,200–00 तथा याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक सात प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से पूर्व में रू0 24,32,885–00 (रू0 चौबिस लाख बत्तीस हजार आठ सौ पिचासी मात्र) की धनराशि का भुगतान करने के आदेश पारित हुए, जो कि त्रुटिपूर्ण होने के कारण मा0 न्यायालय द्वारा पारित स्पष्ट आदेश एवं आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार कुल धनराशि रू0 26,92,492–00 के सापेक्ष पूर्व में भुगतान धनराशि रू0 24,32,885–00 को घटाते हुए, **अवशेष धनराशि रू0 2,59,607–00 (रू0 दो लाख उनसठ हजार छः सौ सात मात्र) मा0 न्यायालय मोटर दुर्घटना अधिकरण में जमा कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।**

2– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस हेतु यह स्वीकृति प्रदान की जा रही है तथा उक्त धनराशि सम्बन्धित याची को भुगतान करने के उपरान्त् उसकी प्राप्ति रसीद शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। भुगतान से पूर्व वास्तविक भुगतान तिथि तक की वास्तविक देयता के सम्बन्ध में पुनः पुष्टि कर ली जाय तथा वास्तविक देय धनराशि ही आहरित कर शीर्घ जमा करायी जाय।

3– जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– प्रश्नगत वाद में याचिकाकर्ता को भुगतान में विलम्ब / मा0 उच्च न्यायालय में समय से विशेष अपील दाखिल न किये जाने के लिये उत्तरदायी कार्मिकों / अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुये नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–2020 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–7 के लेखाशीर्षक 2052–सचिवालय–सामान्य सेवाएं–00–800–अन्य व्यय–06–मा0 न्यायालायों द्वारा की गयी डिक्री से सम्बन्धित मानक मद 42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–56 / XXVII (5) / 19–20, दिनांक–09–07–2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।